तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज लक्ष्मीदेवी बनाम राज. सरकार	नम्बर व ता[रीख] अहकाम जो [इस] हुक्म की ता[मील] में जारी हु[ए]
6/5/25	पत्रावली पेश हुई। अभि० वादी उपस्थित उक्त पत्रावली महोदय से बहस हेतु नियत कर दी गई है जबकि उक्त प्रकरण में साक्ष्य लिया जाना आवश्यक है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 13/5/25 को पेश हो।	
13/5/25	पत्रावली पेश हुई। अभि० वादी उपस्थित अभि० वादी ने PW-1 लक्ष्मीदेवी, PW-2 बबलू के शपथ पत्र पेश किये जो शा० कि० है। पत्रा० वास्ते साक्ष्य वादी शेष दिनांक 30/5/25 को पेश हो।	
30/5/25	पत्रावली पेश हुई। अभि० वादी उपस्थित पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी शेष दिनांक 16/6/25 को पेश हो।	
16/6/25	पत्रावली पेश हुई। अभि० वादी उपस्थित साक्ष्य वादी अब पेश नहीं करना चाहते साक्ष्य वादी बंद कि जाती है। अभिभाषक वादी की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 19/6/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)	
19/6/25	पत्रावली पेश हुई। अभि० वादी उपस्थित वाद पत्र वादी डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शा० कि० है। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम होकर अभिलेख दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः– सुश्री भारती गुप्ता (आर.ए.एस)
प्रार्थना पत्र कमांकः– 95 / 2023

1. लक्ष्मीदेवी पत्नि आन्नद सिंह जाति गूजर निवासी तुहिया पट्टी उच्चैन भरतपुर।

.........वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील उच्चैन।

.........प्रतिवादी

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88,89 आर.टी.ए.

उपस्थिति

1. श्री धर्मेन्द्र चौधरी एडवोकेट

निर्णय **दिनांकः–19.06.2025**

वादिनी ने यह वाद पत्र जरिये अधिवक्ता राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,89 आरटीए के तहत पेश कर निवेदन किया है कि मुझ वादिनी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 1211 / 0.15, 1213 / 0.14, 1233 / 0.11है0 वाके ग्राम तुहिया पट्टी तहसील उच्चैन में स्थित है। वादपत्र में वर्णित विवादित आराजी में मुझ वादिनी का नाम लच्छो पत्नि आन्नद दर्ज है क्योंकि गांव एवं घर की भाषा में मुझ वादिनी को लच्छो नाम से सम्बोधित किया जाता है जबकि मेरे समस्त पहचान दस्तावेजात जैसे आधार कार्ड बैंक खाता पहचान पत्र एवं राशन कार्ड में मेरा नाम लक्ष्मी देवी दर्ज रिकार्ड है। मुझ वादिनी का नाम पहचान दस्तावेजों एवं राजस्व रिकार्ड में भिन्न– भिन्न होने के कारण वादिनी उक्त आराजी का उपयोग उपभोग सही प्रकार से नहीं कर पा रही है दिनांक 26.06.2023 को वादिनी उक्त आराजी को रहन रख कृषि विकास हेतू लोन लेने बैंक गयी तो बैंक मैनेजर ने लोन देने से साफ इन्कार कर दिया। पहचान दस्तावेजों एवं राजस्व रिकार्ड में गलत नाम की जानकारी वादिनी को कृषि कार्य हेतु लोन लेने हेतु बैंक जाने पर हुयी जिसकी शुद्धि हेतु वादिनी तहसीलदार उच्चैन के पास गयी तो तहसीलदार उच्चैन के द्वारा सक्षम न्यायालय से आदेश लाने को कहा। वाद पत्र वादिनी डिकी किया जाकर वादिनी का नाम राजस्व रिकार्ड में शुद्ध किया जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार उच्चैन के द्वारा जबाव पेश कर निवेदन किया है कि हाल जमाबंदी सम्बत् 2075–78 वाके ग्राम तुहियापट्टी अनुसार खसरा नम्बर 1211, 1213, 1233 में वादी लच्छोदेवी पत्नि आनन्द हि. पूर्ण जाति गूजर दर्ज रिकार्ड है। आधार वर्ष 2074–74 वाके ग्राम तुहियापट्टी जमाबंदी अनुसार भी उक्त खसरा नम्बरान में इन्द्राज समान रूप से दर्ज है। वादी के वाद अनुसार ग्राम तुहियापट्टी के मजमे आम में जानकारी करने पर उपस्थित लोगों द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

बताया गया कि लच्छोदेवी पत्नी आनंद जाति गूजर को ही लक्ष्मी पत्नी आनंद जाति गूजर के नाम से सभी लोग जानते है अर्थात् लच्छो पत्नी आनंद ही लक्ष्मी पत्नी आनंद है। वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में लक्ष्मीदेवी पत्नी आनंद एवं बबलू पुत्र नेकराम के शपथ पत्र पेश किये है।

वादनी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अभिभाषक वादनी ने वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया है कि वादनी के समस्त पहचान दस्तावेजा में सही नाम लक्ष्मी देवी पत्नी आनंद है जबकि राजस्व रिकार्ड में ग़लती से वादनी का गांव की भाषा में बोला जाने वाला नाम लच्छो पत्नी आनंद दर्ज कर दिया गया है जिसके कारण वादनी को कृषि कार्य हेतु लोन इत्यादि लेने एवं सरकार की योजनाओं में लाभ लेने में परेशानी का सामना करना पडता है। वादनी का नाम राजस्व रिकार्ड में लच्छो के स्थान पर लक्ष्मीदेवी किये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा विद्वान अधिवक्ता वादनी की बहस पर मनन किया गया। वाद पत्र, शपथपत्र एवं पत्रावली के साथ संलग्न राजस्व रिकार्ड आधार कार्ड, जनआधार कार्ड एवं अन्य सभी दस्ताबेजात का अवलोकन किया गया। वादनी द्वारा वादपत्र के साथ पेश सभी दस्तावेजात में वादनी का नाम लक्ष्मी देवी दर्ज है जबकि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत् 2075—2078 में वादनी का नाम लच्छोदेवी दर्ज है। तहसीलदार उच्चैन से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार लच्छां पत्नी आनंद एवं लक्ष्मीदेवी पत्नी आनंद एक ही व्यक्ति के नाम है। राजस्व रिकार्ड में वादनी के गलत नाम को कलमजन कर सही नाम दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

—ःअतः आदेश हैः—

वाद पत्र वादनी डिक्री किया जाता है। तहसीलदार उच्चैन को आदेश दिये जाते हैं कि आराजी खसरा नम्बर 1211, 1213, 1233 वाके ग्राम तुहियापट्टी तहसील उच्चैन में वादनी के गलत नाम लच्छोदेवी पत्नि आनंद को कलमजन कर वादनी का सही नाम लक्ष्मीदेवी उर्फ लच्छोदेवी पत्नि आनंद राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 19.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Sd/-

भारती गुप्ता (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन भरतपुर

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

डिगरी व मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Gode, Appendix D-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम उच्चैन, भरतपुर

व इजलास सुश्री भारती शुक्ला (R.A.S.)

लाड़कीदेवी बनाम राजस्थान सरकार

दावा बाबत् धारा 88, 89 RTA

मुंकदमा नं. 23/2024 सन्

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसालं कतई रू–ब–रू हमारे

व हाजरी श्री धर्मेन्द्र चौधरी एड० मिनजानिब

मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाता है कि वाद पत्र वादनी डिक्री किया जाता है। तहसीलदार उच्चैन को आदेश दिये जाते हैं कि आराजी खसरा नं० 1211, 1213, 1233 के ग्राम नुहियापरटी तह० उच्चैन में वादनी के गलत नाम लच्छोदेवी पत्नि [illegible] की [illegible] कर वादनी का सही नाम लाड़कीदेवी उर्फ लच्छोदेवी पत्नि आनंद राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

आज .... मुबलिग .... बाबत् ....

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख बसूलयावी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 19 माह 06 वर्ष 2025

को जारी की गई।

दस्तखत Shah

उपखण्ड अधिकारी

मुहर

ओहदा उच्चैन (भरतपुर)

मुद्दई		रुपया	पैसे	मुद्दालय		रुपये	पैसे
स्टाम्प अरजीदावा	....			स्टाम्प वकालतनामा	....		
स्टाम्प वकालतनामा	....			स्टाम्प अरजी	....		
स्टाम्प वजह सबूत	....			महनताना वकील)पर	....		
महनताना वकील)पर	....			खर्चा गवाहान	....		
खर्चा गवाहान	....			फीस कमिश्नर	....		
फीस कमिश्नर	....			वावत इजराय हुक्मनामा	....		
वावत इजराय हुक्मनामा	....						
मुतफरिक	....			मीजान	....		
मीजान	....						

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— सुश्री भारती गुप्ता (आर.ए.एस)
प्रार्थना पत्र कमांकः— 95 / 2023

1. लक्ष्मीदेवी पत्नि आन्नद सिंह जाति गूजर निवासी तुहिया पट्टी उच्चैन भरतपुर।

.........वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील उच्चैन।

.........प्रतिवादी

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88,89 आर.टी.ए.

Sharb
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)